राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3837—एक / 12 जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-5-15	यह निगरानी म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के अपील प्रकरण कमांक 313 / 11—12 में पारित आदेश दिनांक 09—10—2012 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गयी है। 2/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक का अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम ढोलपुरा स्थित प्रश्नाधीन आराजी कुल रकबा 6.49 हे0 पर ग्राम पंचायत व्दारा विधिवत विज्ञप्ति जारी करने के बाद वारिसान नामान्तरण किया गया था। उनका तर्क है कि अनावेदकगण प्रेमबाई आदि ने अपनी सहमति के रूप में शपथपत्र प्रस्तुत किये थे जो नोटरी से प्रमाणित हैं, इसलिये ग्राम पंचायत का आदेश सहमति आदेश होने से व्दितीय अपील में अपर आयुक्त ने उसे निरस्त करने में त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रथम अपील समयावधि बाह्य होने से खारिज की गयी थी, इसलिये व्दितीय अपील में	

2

अपर आयुक्त व्दारा समयावधि के प्रश्न पर विचार किये बिना ही प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर करने में गलती की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

3/ अनावेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदकगण मृत ताराचन्द की पुत्रियॉ होने से विधिक उत्तराधिकारी हैं, किन्तु ग्राम पंचायत व्दारा नामान्तरण के पूर्व अनावेदकगण को कोई सूचना दिये बगैर ही आवेदक भगवानलाल को मृतक ताराचन्द का दत्तक पुत्र मानकर नामान्तरण करने में त्रुटि की है। उनका तर्क है कि नामान्तरण के पूर्व विधिवत इश्तहार का प्रकाशन भी नहीं किया गया। अनावेदकगण को नामान्तरण की जानकारी होने पर उनके व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो जानकारी के दिनांक से समयावधि में थी। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदकगण व्दारा ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर कोई सहमति पत्र या शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, इसलिये ग्राम पंचायत के आदेश को सहमति आदेश नहीं माना जा सकता। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

4/ प्रकरण के तथ्य से स्पष्ट है कि अनावेदकगण प्रेमबाई आदि मृत ताराचन्द की पुत्रियॉ होने से विधिक उत्तराधिकारी हैं, किन्तु ग्राम पंचायत व्दारा मृत ताराचन्द अहीर के स्वत्व की भूमि पर आवेदक भगवानलाल का दत्तक पुत्र मानते हुए नामान्तरण करने

3

के पूर्व अनावेदकगण को कोई सूचना नहीं दी। संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय व्दारा नामान्तरण स्वत्व के संबंध में संक्षिप्त जॉच के पश्चात किये जाते हैं। संहिता की धारा 110 की उपधारा (3) के अनुसार नामान्तरण के पूर्व विहित रीति से इश्तहार का प्रकाशन करना तथा हितबध्द पक्षकारों को लिखित प्रज्ञापना देना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत के रजिस्टर में उपलब्ध भगवानलाल ने नामान्तरण आवेदनपत्र में स्वयं को मृतक ताराचन्द का एकमात्र वारिस दत्तक पुत्र अंकित किया है और अन्य कोई वारिस नहीं होना दर्शाया हैं जो उनकी बदनियति का परिचायक है। रजिस्टर में अनावेदकगण प्रेमबाई आदि का सहमतिपत्र भी उपलब्ध है जो सादे कागज पर है और मूल कॉपी है, किन्तु नोटरी व्दारा दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर पहले पेज पर प्रथम पक्ष एवं व्दितीय पक्ष अंकित करते हुए करायी गयी नोटरी की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं करते हुए, उसके स्थान पर फोटो कॉपी प्रस्तुत की गयी है जिससे प्रतीत होता है कि पहला पेज बाद में टाईप कर उसकी नोटरी करायी गयी है। यह सहमति पत्र अनावेदकगण व्दारा स्वयं उपस्थित होकर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही ग्राम पंचायत के समक्ष उनके व्दारा सहमति दिये जाने का कोई प्रमाण है और ना ही ग्राम पंचायत ने अपने ठहराव में अनावेदकगण व्दारा सहमति दिये जाने का उल्लेख किया है। ऐसी दशा में ग्राम पंचायत का नामान्तरण

4

आदेश सहमति आदेश होना नहीं माना जा सकता। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक भगवानलाल व्दारा दत्तक पुत्र के आधार पर मृत ताराचन्द की भूमि पर नामान्तरण किये जाने की मॉग की गयी थी और दत्तक पुत्र के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिये भगवानलाल मृत का दत्तक पुत्र है या नहीं, यह जॉच के विषय था और विधिवत जॉच के बाद ही इस पर निष्कर्ष निकाला जा सकता था, इस कारण ग्राम पंचायत का नामान्तरण आदेश क्षेत्राधिकार रहित होने से शून्यवत है और ऐसे आदेश को समयावधि के आधार पर स्थिर नहीं रखा जा सकता। ऐसी दशा में विव्दान अपर आयुक्त व्दारा अपील स्वीकार करने में कोई विधिक या प्रकिया संबंधी त्रुटि नहीं की गयी है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 09–10–12 यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किये जाये तथा राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य

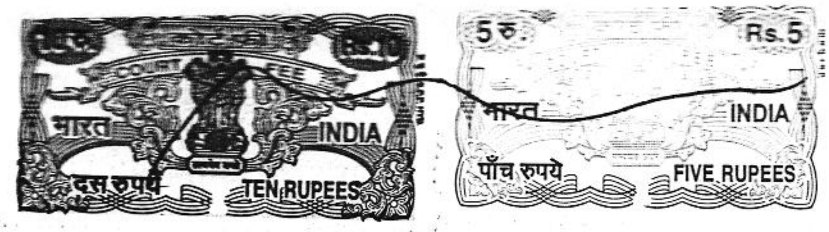

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–नीमच

R. 3837-I/12

भगवानलाल पुत्र श्री हीरालाल जी अहीर, निवासी– ग्राम ढोलपुरा तहसील व जिला नीमच (म.प्र.)

.... आवेदक

विरुद्ध

1– प्रेमबाई पुत्री ताराचन्द्र अहीर
2– पुष्पाबाई पुत्री ताराचन्द्र अहीर
निवासीगण– ग्राम ढोलपुरा तहसील व जिला नीमच (म.प्र.)
3– नब्बूबाई पुत्री ताराचन्द्र अहीर,
4– शांतीबाई पुत्री ताराचन्द्र अहीर
निवासीगण– ग्राम ढोलपुरा तहसील व जिला नीमच (म.प्र.) हाल मुकाम ग्राम फाचर तहसील निम्बाहेड़ा (राजस्थान)
5– ममता पुत्री ताराचन्द अहीर
निवासी– ग्राम बरूदनी, तहसील माडवगढ़, (राजस्थान)

.......अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 7.11.12 को प्रस्तुत
7/11/12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

7/11/12

न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 313/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 09.10.2012 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम पंचायत बोरखेड़ीकलां द्वारा ग्राम ढोलपुरा में स्थित भूमि खाता क्रमांक 65 एवं 72 कुल रकवा 6.49 हेक्टेयर भूमि को वारिसाना भगवानलाल दत्तक पुत्र ताराचन्द्र अहीर निवासी– ग्राम ढोलपुरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 30.06.2000 प्रस्तुत होने पर पंचायत द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई। समयावधि में कोई आपत्ति नहीं आई। तब मृतक ताराचन्द्र पुत्र बंशीराम अहीर निवासी– ढोलपुरा के स्थान पर भगवानलाल दत्तक पुत्र ताराचन्द्र अहीर निवासी– ग्राम ढोलपुरा के नाम से स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया गया।

2– यहकि, ग्राम पंचायत के उक्त नामान्तरण आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नीमच के समक्ष एक अवधि बाहय अपील प्रस्तुत की गई, जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/11–12 पर दर्ज कर सुनवाई उपरान्त दिनांक 02.03.2012 को आदेश पारित कर अपील